राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

कदमा नं. 15/2020

उनवान

ब्दुल गफार उम्र 50 वर्ष पुत्र मोहम्मद रमजान जाति–कुरैसी व्यापारी मुसलमान निवासी – मोहल्ला काजीवाडा झुन्झुनू हाल आबाद शाहनूर कि पहाडी के पास वार्ड न. 13 रिको वारीसपुरा रोड झुंन्झुनू तहसील व जिला–झुन्झुनू

–वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार महोदय झुन्झुनू तहसील व जिला–झुन्झुनू ।

– प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ, संशोधन राजस्व रिकार्ड

विवेचन

दिनांक 8/10/24

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम खिदरसर तहसील व जिला–झुन्झुनू कि सरहद मे भूमि हाल खसरा नम्बर 1060/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि स्थित है जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार/टीनेन्ट है वादी अपनी उक्त वर्णित भूमि पर मौके पर भौतिक रुप से काबिज काश्त है। वादी के पिता का सही नाम मोहम्मद रमजान था वादी के पिता का स्वर्गवास 45 वर्ष पूर्व हो चूका है उक्त वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 1060/964 रकबा 0.21 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड वादी गफार पुत्र रमज्यान गलती से दर्ज हो गया जबकि वास्तव मे वादी का सही नाम अब्दूल गफार पूत्र मोहम्मद रमजान जाति–व्यापारी कुरैसी निवासी–मोहल्ला काजीवाडा झुन्झुनू हाल आबाद शाहनूर कि पहाडी के पास वार्ड न 13 रिको वारीसपुरा रोड झुन्झुनू तहसील व जिला–झुन्झुनू है। वादी के आधार कार्ड राशन कार्ड व पासपोर्ट मे नाम मे वादी का सही नाम अब्दूल गफार पूत्र मोहम्मद रमजांन है। वादी उक्त वर्णित अपनी खातेदारी काश्तकारी कि भूमि हाल खसरा नम्बर 1060/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि को विकसीत करने के लिये बैंक से ऋण लेना चाहता है चुकि वादी के आधार कार्ड पासपोर्ट व राशन कार्ड मे वादी का सही नाम अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद रमजान है चुकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे सत्तार पुत्र रमज्यान दर्ज होने के कारण उसके आधार कार्ड मे मेल नहीं खाने के कारण बैंक वादी के हक में ऋण स्वीकत नहीं कर रहा है उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड जो कि डिजीटल हो चूका है वादी के उक्त राजस्व रिकार्ड को वादी के डिजीटल आधार कार्ड पासपोर्ट व राशनकार्ड मे दर्ज नाम के अनूसार रिकार्ड अनूसार किया जांना आवश्यक है ईसलिये वादी को यह वादपत्र प्रस्तूत करना आवश्यक हुआ है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो कि गलती से राजस्व रिकार्ड मे वादी अब्दूल गफार पुत्र मोहम्मद रमजान के नाम के स्थान पर गफार पुत्र रमज्यान जाति–व्यापारी मुस्लमान निवासी–झुन्झुनू गलत रुप से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी व

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पिता का सही नाम अब्दूल गफार पूत्र मोहम्मद रमजान है जिसको उक्त अनूसार राजस्व ई मे संशोधित किया जाना आवश्यक है तथा उक्त नाम अनूसार भूमि हाल खसरा नम्बर /964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार धोषित फरमाया जाना एवं उक्त ार संशोधित किया जाना आवश्यक है। वादी ने राजस्व रिकार्ड कि प्रमाणित प्रतिलिपी क 24/1/2020 को लेने पर लेने पर वादी ने दिनांक 24/1/2020 को तहसीलदार दय झुन्झुनू के समक्ष वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे गफार पुत्र रमज्यान के स्थान पर ूल गफार पुत्र सैयद मोहम्मद रमजान संशोधन करने हेतू निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ी से कहा कि वह सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकार्ड मे संशोधित नही कर ता है। वादकारण दिनांक 24/1/2020 को तहसीलदार झुन्झुनू के समक्ष वादी का नाम जस्व रिकार्ड मे दुरुस्त करने हेतू निवेदन करने व तहसीलदार झुन्झुनू दवारा सक्षम यालय के आदेश के उपरान्त ही वादी का नाम दुरुस्त करने का कथन करने पर दकारण श्रीमान जी के मैत्राधिकार में पैदा हुआ है। वादपत्र वादी मय शपथपत्र व डुप्लीकेट ते वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिकी किया ावे कि वाकै ग्राम खिदरसर झुन्झुनू तहसील व जिला–झुन्झुनू कि भूमि हाल खसरा नम्बर 060/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि मे वादी का नाम पुत्र रमज्यान के स्थान पर संशोधित का ही नाम अब्दूल गफार पूत्र मोहम्मद रमजान जाति–व्यापारी कुरैसी किये जाने के धोषणा के ादेश प्रदान करे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार झुन्झुनू से जबाव चाहा गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भू0अ0/2023/2458 दिनांक 13.12.2023 द्वारा जबाव पेश किया कि वादी का सही नाम अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद रमजान है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया गया। ग्राम खिदरसर तहसील व जिला–झुन्झुनू कि सरहद मे भूमि हाल खसरा नम्बर 1060/964 रकबा 0.21 हैक्टर भूमि में वादी का नाम गफार पुत्र रमजान दर्ज जबकि वादी के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि में भी वादी का नाम अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद रमजान दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजाती तथ्यों एवं न्यायालय मत पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है।

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है कि ग्राम खीदरसर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 58 में वादी का नाम गफार पुत्र रमजान के स्थान पर अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद रमजान शुद्ध किया जाकर दुरुस्त किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08/10/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/10/24

(हवाई सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इस्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव, आर.ए.एस.

उनवान :–

अब्दुल गफार बनाम सरकार

दावा बाबत घोषणा व संशोधन राजस्व रिकार्ड

मुकदमा नं. :– 15/2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री आबिद एम खान सिंह उपस्थित। वाद में आज दिनांक को श्री हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। ग्राम खीदरसर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या नया 58 में वादी का नाम गफार पुत्र रमजान के स्थान पर अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद रमजान शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 46	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिशनर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	00
योग	50	योग	00

8/10/24

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner